



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 655]

No. 655]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जुलाई 24, 2003/श्रावण 2, 1925

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2003/SRAVANA 2, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2003

का.आ. 839(अ).— केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961

का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित संस्थाओं का एतद्वारा अनुमोदन करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथाउल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा कथित सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामतः

सारणी

क्रम सं०	संस्था का नाम	परियोजना अथवा स्कीम और उसकी अनुमानित लागत	धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि
1.	2.	3.	4.
1.	उदयन केयर, 412, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065.	महिलाओं के लिए जगशान्ति उदयन केयर हॉस्टल	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्ष के लिए 210.00 लाख रु० (कार्पस निधि)।

2.	अखिल भारत कृषि गौ-सेवा संघ, गौ-पुरी वर्धा-442001.	वस्त्र स्वालाम्बन योजना-अंबर चर्खा का वितरण	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्ष के लिए 600.00 लाख रु०
3.	जयसूर्या सेल्फ एम्प्लोयमेंट टीचर एजुकेशन ट्रस्ट, 3/139 जयसूर्या महल, त्रिची मेन रोड, जिजीयार नगर, अग्नि नित्य पिल्लूरुम-605401, तमिलनाडू के सामने	महिलाओं (अनु० जा०/अनु० जा०) के छात्रावास के लिए भवन निर्माण, उपस्करों, कम्प्यूटरों, पुस्तकालय की पुस्तकों, वाहनों आदि की खरीद तथा परियोजना चलाना ।	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्ष के लिए 812.00 लाख रु० (500.00 लाख रु० की कॉर्पस निधि सहित) ।
4.	समाज प्रगति सहयोग, बागली, जिला देवास, मध्य प्रदेश-455227.	लोगों को अधिकार सम्पन्न करने के लिए बाबा आमटे केन्द्र	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्ष के लिए 350.00 लाख रु० (कॉर्पस निधि)
5.	भगिनी मित्र मंडल, सर्वोदय सोसायटी पलिताना, गुजरात राज्य पिन नं० 364270	“वयस्क महिलाओं के लिए आवास” हेतु निधि जुटाने की योजना तथा परियोजना चलाने हेतु कॉर्पस निधि	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्ष के लिए 260.00 लाख रु०
6.	भारतीय जीवन धारा शैक्षिक एवं धर्मार्थ न्यास, सी-128/2, भीकाजी कामा प्लेस, मोहम्मदपुर	वेबरिया (उ० प्र०) में अस्पताल भवन का निर्माण, फर्नीचर,	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात्

		उपस्करों, फिक्सचर और फिटिंग की खरीद तथा डा० रामलाल त्रिपाठी मैमोरियल अस्पताल को चलाना ।	केवल तीन वर्ष के लिए 778.11 लाख रु०
7.	श्रीकृष्ण शांति फाउंडेशन (आर) ट्रस्ट, सं० 375, 5 वां मेन III स्टेज III ब्लॉक, बसवेश्वर नगर, बंगलौर 560079	अस्पताल अनाथ बच्चों के विद्यालय, वृद्ध लोगों के लिए आवास भवन का निर्माण, फर्नीचर/ फिक्सचर्स उपकरण, रसोई के बर्तनों, पुस्तकालय पुस्तकों की खरीद तथा परियोजना को चलाना ।	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्ष के लिए 965.00 लाख रु०
8.	श्रीमती शारदा झटकिया मैमोरियल ट्रस्ट, 17, स्टेशन प्लॉट, ओल्ड सीमेंट रोड, गोंदल, जिला राजकोट-361008, गुजरात ।	अतिरिक्त चिकित्सा इकाइयों से नेत्र अस्पताल का उन्नयन	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, अर्थात् केवल एक वर्ष के लिए 159.24 लाख रु०
9.	इनोवेटिव डेवलपमेंट फाउंडेशन, C-II /62 सफदरजंग विकास क्षेत्र, नई दिल्ली-110011	हेपटाइटिस के बचाव हेतु सम्बन्धिता	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 अर्थात् केवल दो वर्ष के लिए 91.61 लाख रु०
10.	तुलजाई शिक्षण मन्दिर, 9 तुलजाई अभियानगर, भदगाव रोड, पंचोरा, जिला- जलगांव-424201, महाराष्ट्र	स्कूल भवन का निर्माण, फर्नीचर तथा प्रिंटरों, कम्प्यूटरों, खेल के उपकरणों, पुस्तकालय पुस्तकों की खरीद तथा परियोजना को चलाना ।	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्ष के लिए 119.69 लाख रु०

11.	शाहू शिक्षण संस्था, द्वारा वसुंधरा कॉलेज, धूले शोलापुर, शोलापुर	भवन का निर्माण, उपस्करों, वाहनों, पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद तथा उन्नति कृषि विद्यालय चलाना ।	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्ष के लिए 360.00 लाख रु० (3000.00 लाख रु० की कॉर्पस निधि सहित)
12.	ग्रामीण विकास केन्द्र (सी आर डी) दीवान हाउस, जू नरेंगी रोड, गुवाहाटी-781021, असम	रिक्शा बैंक की स्थापना ।	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्ष के लिए 35.00 लाख रु०
13.	मानव सेवा प्रतिष्ठान, 14-प्रिंसीस स्ट्रीट, तृतीय तल, कोलकाता-700072	(क) लड़कों के छात्रावास का निर्माण स्कूल भवन गोपानी आश्रम (ख) कैंनाल आम्टा परियोजना पर स्कूल भवन की पुलिया का निर्माण (ग) प्राथमिक विद्यालय भवन पुस्तकालय, महिला कल्याण केन्द्र चिकित्सा केन्द्र, कम्प्यूटर केन्द्र (4000 वर्ग फीट) पोदार परियोजना का निर्माण (घ) लड़कों के लिए छात्रावास, ओल्ड ऐज होम तथा निराश्रित बच्चों के	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 अर्थात् केवल दो वर्ष के लिए 78.78 लाख रु०

		लिए आवास (3300 वर्ग फीट) श्री दुर्गा सेवाश्रम का निर्माण (ड.) यात्री निवास (560 वर्ग फीट) तथा प्राथमिक विद्यालय (4000 वर्ग फीट) गंगा सागर आश्रम का निर्माण	
14.	शैक्षिक तथा अकादमी अनुसंधान नेटवर्क (लर्न) पैराडाइस अकादमी परिसर, मोरंगखो, इफाल पश्चिम जिला मणिपुर-795001 के लिए स्थान ।	स्कूल भवनका निर्माण, अवसरचरणात्मक विकास तथा परियोजना को चलाना	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्ष के लिए 496.00 लाख रु०
15.	इकोलाजिकल सिक्यूरिटी फाउंडेशन, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड भवन, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029	पारिस्थिति की सुरक्षा तथा आजीविका	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्ष के लिए 233.46 लाख रु०
16.	इकोलाजिकल सिक्यूरिटी फाउंडेशन, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड भवन, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029	पशुपालन तथा राष्ट्रीय संसाधन	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्ष के लिए 875.21 लाख रु०

2. यह अधिसूचना कथित सारणी की क्रम सं० 8 पर उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीम के संदर्भ में कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 की एक वर्ष की अवधि के लिए और क्रम सं० 9 तथा 13 पर उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संदर्भ में कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 की दो वर्ष की अवधि के लिए तथा क्रम सं० 1,2,3,4,5,6, और 7,10,11,12,14,15,16 पर उल्लिखित

परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संदर्भ में कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 और 2006-2007 की तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

[अधिसूचना सं. 178/2003/फा. सं. एन. सी. - 151/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव (राष्ट्रीय समिति)